न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 365/2022 दायर दिनाँक 25.08.2022

वादी

1. दामोदर भाटी पुत्र मेघाराम उम्र 28 वर्ष
2. गोपाल पुत्र मेघाराम उम्र 24 वर्ष
3. भरत भाटी पुत्र मेघाराम उम्र 25 वर्ष
4. कान्ता देवी पुत्री मेघाराम उम्र 40 वर्ष
5. सुमन पुत्री मेघाराम उम्र 35 वर्ष समस्त जाति माली निवासीगण भाटी बास, डीडवाना ,तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मुन्नीदेवी पत्नी घीसालाल उम्र 60 वर्ष
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसालाल उम्र 45 वर्ष
3. बिरदीचन्द पुत्र घीसालाल उम्र 42 वर्ष
4. लालचन्द पुत्र घीसालाल उम्र 40 वर्ष समस्त जाति माली निवासीगण भाटी बास डीडवाना, जिला नागौर राज0।
5. भंवरी देवी पुत्री घीसालाल उम्र 48 वर्ष निवासी मोहनदास बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री दानाराम भाटी वकील वादीगण।
2. श्री जगदीश गिरी वकील प्रतिवादी सं0 1 व 4 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 29.04.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै डीडवाना में खेत खसरा सं0 1377 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 19.03.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः प.1(16)रीडर/2026/178 दिनाँक 16.04.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प. 1(16)रीडर/2026/178 दिनाँक 16.04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

सरहद मौजा डीडवाना में खेत खसरा सं0 1377 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(16)रीडर/2026/178 दिनाँक 16.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांकः प. 1(16)रीडर/2026/178 दिनाँक 16.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **29.04.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना